मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, पटना–800002

बाढ़ संघर्षात्मक कार्य (वर्ष 2026) हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना।

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना के परिक्षेत्राधीन गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा/सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल/पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी/पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, अनिसाबाद/बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बख्तियारपुर/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, गया/बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, आरा एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत पटना, नालंदा, शेखपुरा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं अरवल जिलों में पड़ने वाली नदियों एवं गंगा नदी में अक्राम्य स्थलों पर वर्ष 2026 के दौरान (01 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक) आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने के ईच्छुक जल संसाधन विभाग में निबंधित संवेदकों से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक–20.05.2026 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। श्रेणी–4 में जिला विशेष के पथ प्रमंडल द्वारा निबंधित संवेदक संबंधित जिला में कार्य करने के लिए आवेदन दे सकते है।

परिक्षेत्राधीन नामांकण के आधार पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने हेतु सूचीबद्ध करने हेतु निम्नलिखित अभिलेख/कागजातों के साथ दिनांक–20.05.2026 तक डाक द्वारा या कार्यालय अवधि में व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र समर्पित करना अनिवार्य है :–

1. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को सम्बोधित आवेदन पत्र जिसमें मोबाईल नम्बर, ई–मेल का उल्लेख हो।
2. वैध निबंधन प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
3. Notary द्वारा निर्गत शपथ पत्र जिसमें इस आशय का स्पष्ट उल्लेख हो कि **"कार्य मिलने पर वे स्वयं स्थल पर अपने संसाधनों (मजदूर एवं यंत्र संयत्र इत्यादि) के साथ चौबीस घंटे मुस्तैद रहेंगे एवं ऐसा नहीं करने पर विभाग उनके विरूद्ध आपदा/अन्य सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई कर सकती है।"** उक्त घोषणा का उल्लेख शपथ पत्र में नहीं रहने पर उनके आवेदन की मान्यता नहीं दी जायेगी।
4. समर्पित शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि जल संसाधन विभाग में संवेदक के कोई भी नजदीकी संबंधी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत नहीं है।
5. वैध चरित्र प्रमाण पत्र की स्व0 अभिप्रमाणित प्रति।

नोट :– (1) सूचीबद्धता के क्रमांक से कार्य में प्राथमिकता देने का कोई संबंध नहीं होगा।

(2) सूचीबद्ध होने मात्र से कार्य कराने हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना।
20.04.2026